



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 58968-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 5350/2026

किशन सिंह उर्फ अन्ना

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : कुलदीप सिंह चाहर

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 49

माननीय न्यायमूर्ति अजय भनोट

माननीय न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की बात सुनी और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. याचिकाकर्ता ने दिनांक 20.12.2025 को दर्ज की गई एफ.आई.आर. को रद्द करने की प्रार्थना के साथ यह रिट याचिका दायर की है, जिसके अंतर्गत एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 8/20/29 के तहत मामला संख्या 0354/2025 दर्ज की गई है। यह याचिका थाना-किरावली, जिला पश्चिमी (आगरा आयुक्त कार्यालय) में दर्ज की गई थी।
3. एफ.आई.आर. के अवलोकन से पता चलता है कि इस मामले में 193 किलोग्राम गांजा बरामदगी के आधार पर मामला दर्ज किया गया है और इसमें लगाए गए आरोपों के अनुसार, यह आरोप लगाया गया है कि मुखबिर को सूचना मिली थी कि मथुरा के वृंदावन निवासी जकारिया उर्फ जका अपने साथियों किशन सिंह उर्फ अन्ना (वर्तमान याचिकाकर्ता) और योगेश चाहर के साथ गांजे की अवैध तस्करी में लिप्त हैं और याचिकाकर्ता किशन सिंह उर्फ अन्ना के माध्यम से उक्त प्रतिबंधित अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पदार्थ (गांजा) लाया गया है, जिसे किरावली थाना के अधिकार क्षेत्र में आने वाले लेदर पार्क के पास कहीं छिपाया गया है।

4. पुनः 19.12.2025 को सूचनादाता से एक और सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी जकारिया उर्फ जका, किशन सिंह उर्फ अन्ना और योगेश चाहर, जिनके अलग-अलग मोबाइल नंबर हैं, प्रतिबंधित पदार्थ (गांजा) की अवैध तस्करी में लिप्त हैं।

5. आगे यह आरोप लगाया गया है कि किशन सिंह उर्फ अन्ना और उसके बहनोई योगेश चाहर जकारिया से संबंधित प्रतिबंधित वस्तु (गांजा) लाए थे और उसे सह-आरोपी योगेश चाहर के पैतृक गांव जंगारा ले जा रहे थे। हालांकि, पुलिस द्वारा पकड़े जाने के डर से उन्होंने उक्त प्रतिबंधित वस्तु को लेदर पार्क के गेट के पास झाड़ियों में छिपा दिया था, जहां से प्रतिबंधित वस्तु छह प्लास्टिक बैग में रखी हुई बरामद की गई। इसका वजन 193 किलोग्राम पाया गया और इसे कब्जे में ले लिया गया। आवश्यक बरामदगी जापन तैयार किया गया और उसी के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ एन.डी.पी.एस. अधिनियम के प्रावधानों के तहत आक्षेपित एफ.आई.आर. दर्ज की गई है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता पूरी तरह से निर्दोष हैं और उसे दुर्भावनापूर्ण इरादे से इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया कि आक्षेपित एफ.आई.आर. में लगाए गए आरोपों से प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई अपराध सिद्ध नहीं होता है, इसलिए विवादित एफ.आई.आर. को रद्द किया जाना चाहिए।

8. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान एजीए ने याचिकाकर्ता की उपरोक्त प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया और कहा कि सूचनादाता द्वारा दी गई सूचना के आधार पर, जिसमें याचिकाकर्ता और दो अन्य आरोपियों की संलिप्तता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री (ठीक 193 किलोग्राम गांजा) बरामद कर कब्जे में ले ली गई है।

9. विद्वान एजीए ने आगे कहा कि आक्षेपित एफ.आई.आर. में लगाए गए आरोपों से याचिकाकर्ता की संलिप्तता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के विरुद्ध अपराध स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है, और इस मामले में गहन जांच और छानबीन की आवश्यकता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. विद्वान एजीए ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मोहम्मद सहाबुद्दीन एवं अन्य बनाम असम राज्य: 2012 (119) एआईसी 45; भारत संघ बनाम संजीव वी. देशपांडे: एआईआर 2014 एससी 3625; हीरा सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य: एआईआर 2020 एससी 3255; और पंजाब राज्य बनाम राकेश कुमार: एआईआर 2019 एससी 84 के निर्णयों पर भी भरोसा जताया है और इसके मद्देनजर, इस स्तर पर किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और यह रिट याचिका भी खारिज किए जाने योग्य है।

11. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत विरोधी दलीलों पर विचार करने और याचिकाकर्ता की भारी मात्रा में मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्तता के विशिष्ट आरोप तथा पुलिस द्वारा बरामद 193 किलोग्राम प्रतिबंधित वस्तु और तैयार किए गए विधिवत बरामदगी ज़ापन को ध्यान में रखते हुए, जो इस मामले में याचिकाकर्ता की संलिप्तता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के विरुद्ध अपराध स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है।

12. इसके अतिरिक्त, पिछले अनुच्छेदों में चर्चा किए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून तथा राज्य के विद्वान एजीए द्वारा प्रस्तुत दलीलों तथा अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध संज्ञेय अपराधों को स्पष्ट रूप से प्रकट करने वाली विवादित एफ.आई.आर. को इस प्रारंभिक चरण में, विशेषकर भारी बरामदगी को देखते हुए, समाप्त नहीं किया जा सकता है।

13. उपरोक्त को देखते हुए, इस स्तर पर आक्षेपित एफ.आई.आर. को रद्द करने की प्रार्थना पूरी तरह से निराधार है और इसलिए इसे अस्वीकार किया जाता है।

14. यह रिट याचिका मेरिटहीन है और तदनुसार खारिज की जाती है।

23 मार्च, 2026

नदीम

(न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार-द्वितीय) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।